

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 1036/12

संस्थित दिनांक-27.12.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. मुन्नी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र अमरसिंह गुर्जर उम्र 62 साल
2. छुन्ना उर्फ रामसेवक पुत्र मुन्नीलाल उर्फ ओमप्रकाश गुर्जर
उम्र 24 साल, निवासी ग्राम श्यामपुरा थाना गोहद चौराहा
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 14.10.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.11.12 को सुबह 10 बजे या उसके लगभग ग्राम श्यामपुरा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा स्थित फरियादी रामदास के घर के पास आप/सह अभियुक्त मुन्नी उर्फ ओमप्रकाश ने फरियादी को धारदार हथियार से मारपीट कर एवं अभियुक्त छुन्ना द्वारा फरियादी को पीठ में दांत से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि आहत का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 323, 504 के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 06.11.12 को फरियादी रामदास द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की गयी कि वह तथा उसका भाई मुन्ना उर्फ ओमप्रकाश अलग अलग रहते हैं। फरियादी अपना घर छोड़कर गोहद रहने और सामान लेने जा रहा था। जब उक्त दिनांक को अपनी चारा काटने की मशीन उखाड़ने लगा तो अभियुक्तगण ने उसे रोका और कहाकि मशीन उनकी है, इसी बात पर गाली गलौच करने लगे। गाली देने से मना करने पर मुन्नी उर्फ ओमप्रकाश ने हंसिया मारा जो दाहिने हाथ के अंगूठे के पास लगा। छुन्ना उर्फ रामसेवक ने डण्डा मारा जो पैर की जांघ में लगा। दोनों अभियुक्तगण ने पटक लिया एवं पीठ में छुन्ना ने दांतों से काट लिया। उक्त रिपोर्ट से अदम चैक लेख की गयी, चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। धारदार हथियार से चोट होने के कारण अप०क्र० 192/12 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया

गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिरा कर गिरा पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर उनके निर्दोष होने व झूठे फंसाए जाने का बचाव लिया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या आरोपीगण ने दि० 06.11.12 को सुबह 10 बजे फरियादी रामदास को धारदार हथियार की कोई चोट थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व फरियादी रामदास के घर के पास आप/सह अभियुक्त मुन्नी उर्फ ओमप्रकाश ने फरियादी को धारदार हथियार से मारपीट कर एवं अभियुक्त छुन्ना द्वारा फरियादी को पीठ में दांत से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में संतोष अ०सा० 1, सुभाष पाण्डे अ०सा० 2 डा० आलोक शर्मा अ०सा० 3, रामदास अ०सा० 4 व कुसमा अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. फरियादी का पुत्र संतोषसिंह अ०सा० 1 यह कथन करता है कि 3-4 साल पहले 12 या 1 बजे दिन की बात है आरोपीगण ने खेत की मेड़ बड़ाकर उनकी तरफ डाल दी थी। खेती की बात से घर पर विवाद हुआ था। अभियुक्त मुन्नी ने उसके पिता को डण्डे से मारा था जिससे वे जखमी हो गए थे। मुन्नी, कैलाश, रामसेवक व छुन्ना ने उसके पिता की मारपीट की थी तथा घर पर भी नहीं जाने दिया। उपरोक्त साक्षी घटना का कारण अदम चैक रिपोर्ट प्र०पी० 5 से भिन्न बताता है। अभियुक्त मुन्नी एवं छुन्ना के अतिरिक्त अन्य एक व्यक्ति कैलाश के द्वारा भी मारपीट करना बताता है। अभियोजन द्वारा मामले का समर्थन न किए जाने से उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षी ने अभियोजन के कथानक का स्वीकार कर समर्थन किया कि उसके पिता को मुन्नीसिंह ने हंसिया मारा एवं छुन्नासिंह ने डण्डा मारा जो पैर के घुटने में लगा। यह भी स्वीकार किया कि छुन्ना ने उसके पिता की पीठ में काट खाया था। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि छुन्ना एवं मुन्नी दोनों ने ही काटा था। इस प्रकार से यह साक्षी अभियुक्त मुन्नीसिंह द्वारा पिता को हंसिया मारने जो पीठ में मारने एवं पीठ में ही छुन्ना एवं मुन्नी द्वारा काट लेने का कथन करता है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करता है कि उसने बता दिया था कि अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ

मुन्नी ने पीठ में काट लिया था जबकि उक्त तथ्य उसके पुलिस कथन में लेख नहीं हैं और पीठ में हंसिया मारने की बात भी पुलिस कथन में लेख नहीं हैं।

8. फरियादी रामदास अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उनका अभियुक्तगण से मुंहवाद हो गया था और धक्का मुक्की कर दी थी जिसकी उन्होंने थाना गोहद चोराहा में रिपोर्ट लिखाई थी, अदम चैक प्र०पी० 5 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में किसी अभियुक्त के द्वारा धारदार वस्तु से उपहति कारित करने तथा दांत से काट लेने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। साक्षी द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे मुन्नी व ओमप्रकाश ने हंसिया मारा तथा अभियुक्त छुन्ना ने पीठ में काट लिया। पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 5 के बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र०पी० 6 के ए से ए भाग पर इस प्रकार से उपहति कारित किए जाने के तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। प्रकरण में साक्षी कुसमा अ०सा० 5 ने भी घटना का कोई समर्थन अभिसाक्ष्य में नहीं किया बल्कि साक्षी उसे मुंहवाद एवं धक्कामुक्की की जानकारी पति द्वारा दिए जाने का कथन किया है। इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित किया गया और उसने भी अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया।

9. प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 3 आहत रामदास को दिनांक 06.11.12 को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाए जाने पर डा० राजेन्द्र तराटिया द्वारा परीक्षित करने पर तीन चोटें क्रमशः दाएं हाथ के अंगूठे पर कटे का निशान, पीठ में बांयी तरफ 2.5 गुणा 2 सेमी० आकार का दांत से काटने का निशान तथा बांयी जांघ पर नील का निशान पाए जाने का कथन करते हैं। चोट क्र० 1 धारदार वस्तु से, चोट क्र० 2 मानव दांतों से तथा चोट क्र० 3 सख्त व भौथरी वस्तु से आने के संबंध में राय दिए जाने का कथन करते हैं। यदि तर्क के लिए उक्त चोटें आहत को घटना दिनांक को मौजूद होना भी प्रमाणित मान लिया जाए तो भी उक्त चोटें अभियुक्तगण के स्वेच्छिक कार्य के परिणाम के रूप में थी इस संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं।

10. प्रकरण में संतोषसिंह अ०सा० 1 के द्वारा अभिकथित रूप से मुख्य परीक्षण में किसी धारदार वस्तु अथवा मानव दांतों से उसके पिता को उपहति कारित किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है और जो चोट हंसिया से कारित होना बताई है वह पीठ में बताई है जबकि आहत रामदास को पीठ में कोई धारदार व सख्त वस्तु से चोट पाए जाने का चिकित्सक ने कथन नहीं किया है। साक्षी जो कि आहत को मानव दांतों से दोनों अभियुक्तगण द्वारा काटने का तथ्य बताता है जबकि फरियादी स्वयं ऐसा कोई कथन नहीं करता और उसकी पीठ में दो व्यक्तियों के द्वारा काटने के मानव दांतों के निशान पाए गए हो, इस संबंध में सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में उसे किसी धारदार वस्तु से चोट आने का कथन नहीं किया है और साक्षी संतोषसिंह अ०सा०

1 ने उसके पिता रामदास को जो चोटें कारित होना बताई हैं वे चिकित्सीय साक्ष्य से अभिपुष्ट नहीं हैं इसके अतिरिक्त संतोष अ०सा० 1 ने अभियुक्तगण के अतिरिक्त कैलाश नाम के व्यक्ति द्वारा उपहति कारित करने का कथन किया है। इस प्रकार से अभियोजन की साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी होकर विश्वसनीय नहीं हैं।

11. अनुसंधानकर्ता सुभाष पाण्डे अ०सा० 2 की अभिसाक्ष्य औपचारिक व दस्तावेजी है। उनके द्वारा अभियुक्तगण या उनमें से किसी के पास से धारदार वस्तु जब्त किए जाने का कथन नहीं किया है। दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। प्रकरण में आहतगण एवं चक्षुदर्शी द्वारा अभियुक्त की संलिप्तता को प्रमाणित नहीं किया है। जहां तक देहाती नालिसी प्र०पी० 4, पुलिस कथन क्रमशः प्रपी० 6, 7 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते उनका उपयोग साक्षियों के पूर्व कथन के रूप में संपुष्टि एवं विरोधाभास तथा लोप के संबंध में किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने 06.11.12 को सुबह 10 बजे या उसके लगभग ग्राम श्यामपुरा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा स्थित फरियादी रामदास के घर के पास आप/सह अभियुक्त मुन्नी उर्फ ओमप्रकाश ने फरियादी को धारदार हथियार से मारपीट कर एवं अभियुक्त छुन्ना द्वारा फरियादी को पीठ में दांत से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्तगण के जमानत व मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

13. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

14. अभियुक्त की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश